दिनांक- 09.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 520/26

महोबा पुलिस

मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महोबा पुलिस का जनपदव्यापी "बहू–बेटी सम्मेलन", महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन का संदेश

"सशक्त नारी – सुरक्षित समाज" के संकल्प के साथ महोबा पुलिस का व्यापक जागरूकता अभियान

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के मार्गदर्शन में आज दिनांक 09.08.2026 को मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद महोबा के समस्त थाना क्षेत्रों में वृहद स्तर पर "बहू–बेटी सम्मेलन" का आयोजन किया गया।

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत एसओपी के अनुपालन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में स्थापित मिशन शक्ति केंद्र टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाओं, बहुओं, बालिकाओं, छात्राओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा बहुओं, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, जनप्रतिनिधियों एवं सम्मानित नागरिकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें समाज में महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता के महत्व से अवगत कराया गया। साथ ही मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों—नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन—के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

सम्मेलन के दौरान महिलाओं को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम एवं महिला उत्पीड़न से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया।

युवतियों एवं छात्राओं को शिक्षा के महत्व, आत्मरक्षा, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व विकास, सुरक्षित भविष्य निर्माण एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग के संबंध में विशेष रूप से जागरूक किया गया। उन्हें साइबर अपराध, ब्लैकमेलिंग एवं ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय बताते हुए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने हेतु प्रेरित किया गया।

साइबर जागरूकता के अंतर्गत महिलाओं को OTP, बैंक खाता विवरण, ATM/CVV, UPI PIN एवं पासवर्ड साझा न करने, फर्जी कॉल/मैसेज/लिंक से सावधान रहने एवं साइबर अपराध होने पर 1930 हेल्पलाइन एवं निकटतम थाना/साइबर सेल से संपर्क करने हेतु जागरूक किया गया।

इसके अतिरिक्त शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं—मिशन शक्ति, महिला हेल्प डेस्क, कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, वन स्टॉप सेंटर, उज्ज्वला योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना—के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही 112, 1090, 181, 1098, 1930, 1076, 102 एवं 108 हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया तथा यह विश्वास दिलाया गया कि महिला सुरक्षा एवं सम्मान के लिए महोबा पुलिस सदैव प्रतिबद्ध है और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है।

दिनांक- 09.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 521/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खन्ना पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में गठित पुलिस टीम के उ0नि0 मौजीलाल वर्मा मय हमराह का0 राहुल कुमार द्वारा दिनांक 09.08.2026 को माननीय न्यायालय सिविल जज जू0डि0/मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हमीरपुर द्वारा निर्गत बिना जमानतीय वारंट के अनुपालन में वारंटी अभियुक्त अहिवरन सिंह, उम्र करीब 57 वर्ष, पुत्र स्व0 गजराज सिंह, निवासी ग्राम लरोंद थाना विवांर जनपद हमीरपुर को संबंधित केश सं0 41773/2024, अ0सं0 146/1991, धारा 5/25 आर्म्स एक्ट के मामले में ग्राम मवईखुर्द थाना खन्ना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अहिवरन सिंह, उम्र करीब 57 वर्ष पुत्र स्व0 गजराज सिंह निवासी ग्राम लरोंद थाना विवांर जनपद हमीरपुर

संबंधित वाद का विवरण-

केश सं0 41773/2024

अ0सं0 146/1991 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 मौजीलाल वर्मा, थाना खन्ना जनपद महोबा

2.का0 राहुल कुमार, थाना खन्ना जनपद महोबा

दिनांक- 09.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 522/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम द्वारा हत्या के वांछित अभियुक्त को मय आलाकत्ल सहित किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खन्ना पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह की देखरेख में गठित पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 09.08.2026 को उ0नि0 सुरेश कुमार मय हमराह हे0का0 लोकेश कुमार व कां0 शीलू यादव के साथ वांछित अभियुक्त हरीशंकर विश्वकर्मा पुत्र शिवदास विश्वकर्मा, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम ग्योड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा को मुखबिर की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 75/2026 धारा 105 बीएनएस व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित मामले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नीचे ग्योड़ी–सुरहा मार्ग पुल के नीचे से हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद यूकेलिप्टस का डंडा (आलाकत्ल) बरामद कर विधिवत सील किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हरीशंकर विश्वकर्मा पुत्र शिवदास विश्वकर्मा उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम ग्योड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा

अपराध विवरण-

मु0अ0सं0 75/2026 धारा 105 बीएनएस व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुरेश कुमार, चौकी इंचार्ज ग्योड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा
2. हे0का0 लोकेश कुमार, थाना खन्ना जनपद महोबा
3. कां0 शीलू यादव, थाना खन्ना जनपद महोबा

दिनांक- 09.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 523/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी- थाना चरखारी

चरखारी पुलिस की प्रभावी कार्यवाही:

जुआ खेलते हुये 06 अभियुक्त गिरफ्तार, ₹5,110 नकद व ताश के पत्ते बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में जनपद में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध गतिविधियों (जुआ/शराब/गांजा/अवैध शस्त्र) के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना चरखारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना चरखारी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 09.08.2026 को अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही करते हुए कुल 06 अभियुक्तों को जुआ खेलते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

प्रथम कार्यवाही:

पुलिस टीम द्वारा मुहल्ला महावीरनगर, कस्बा चरखारी से 03 नफर अभियुक्तगण-

1. समीर पुत्र मिस्टर खान उम्र करीब 22 वर्ष
2. अजीज पुत्र रशीद सौदागर उम्र करीब 42 वर्ष
3. सलामत पुत्र अनीश सौदागर उम्र करीब 28 वर्ष निवासीगण मुहल्ला भैरोगंज, थाना चरखारी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से ₹2440 मालफड़, 52 अदद ताश पत्ते तथा जामातलाशी ₹350, कुल ₹2790 बरामद हुए। इस संबंध में थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 173/26 धारा 13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

द्वितीय कार्यवाही:

पुलिस टीम द्वारा बम्हौरी बेलदारन रोड, कस्बा चरखारी से 03 अभियुक्तगण-

1. छोटू उर्फ रमजान पुत्र रसूल खान उम्र करीब 25 वर्ष
2. इस्लाम पुत्र गफ्फार उम्र करीब 24 वर्ष
3. अकरम पुत्र मुन्ना उम्र करीब 33 वर्ष निवासीगण थाना चरखारी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से ₹2020 मालफड़, 52 अदद ताश पत्ते तथा जामातलाशी ₹300, कुल ₹2320 बरामद हुए। इस संबंध में थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 174/26 धारा 13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1.उ0नि0 हार्दिक सिंह 2. हे0का0 महेन्द्र गौतम, 3.कां0 लोकेन्द्र प्रताप 4. रि0का0 शिवांशु द्विवेदी थाना चरखारी जनपद महोबा।

महोबा पुलिस

दिनांक- 09.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 524/26

मिशन शक्ति अभियान 5.0 :- परिवार परामर्श केन्द्र की पहल से 02 परिवारों में लौटी खुशियाँ, आपसी मतभेद हुए दूर...।

- मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत जनपद महोबा पुलिस द्वारा संचालित परिवार परामर्श केन्द्र के प्रभावी प्रयासों से कई बिखरते परिवारों को टूटने से बचाया गया है। संवाद, समझ और संवेदनशील परामर्श के माध्यम से पारिवारिक विवादों का समाधान कर परिवारों में पुनः खुशियों की वापसी कराई गई।
- आज दिनांक 09.08.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन महोबा स्थित सभाकक्ष में परिवार परामर्श केन्द्र का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी महिला थाना उ0नि0 निकिता शुक्ला द्वारा की गई। कार्यक्रम में परिवार परामर्श केन्द्र के सभी सम्मानित सदस्यगण उपस्थित रहे।
- कार्यक्रम के दौरान पति-पत्नी के 27 ऐसे जोड़ों, जिनके मध्य पारस्परिक पारिवारिक विवाद चल रहा था, की गहन काउंसिलिंग की गई। प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुना गया तथा दोनों पक्षों की समस्याओं के समाधान हेतु संयमित, सकारात्मक एवं संवेदनशील परामर्श प्रदान किया गया। काउंसिलिंग के परिणामस्वरूप 02 पति-पत्नी (दंपत्ति) पुनः आपसी सहमति से साथ रहने के लिए राज़ी हुए। शेष प्रकरणों को आगामी तिथि पर पुनः काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया गया है।
- परिवार परामर्श केन्द्र एवं जनपद महोबा पुलिस के इन सफल प्रयासों की प्रभावित परिवारों एवं उनके परिजनों द्वारा सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया।
- परामर्श कार्यक्रम के दौरान म0हे0कां0 अल्का, म0कां0 ममता, म0कां0 मानसी, म0कां0 शीला, म0कां0 ममता सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर ,श्रीमती नीतू पालीवाल, श्रीमती विभा पुरवार, श्री रामकुमार सोनी, श्री रामजी गुप्ता आदि सम्मानित सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति सराहनीय रही।

दिनांक- 09.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 525/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ - थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध एवं अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में आज दिनांक- 09.08.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित उ0नि0 मलखान सिंह मय हमराह उ0नि0 रमेशकात त्रिपाठी, हे0कां0 बृजेश तिवारी, कां0 प्रशांत कुमार व कां0 अवनीश उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1.राजू पुत्र टुंइया उम्र करीब 35 वर्ष निवासी मुहल्ला मस्तयाना कस्बा जैतपुर थाना कुलपहाड जनपद महोबा सम्बन्धित मु0सं0 322/2012, अ0सं0 31/2012 धारा 323/504/ 506 भादवि0 व 2.चन्द्रशेखर पुत्र दशरथ खंगार निवासी ग्राम ननवारा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा संबंधित मु0अ0स0 299/10 धारा 304/323/504 भा0द0वि0 में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्तगण उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.राजू पुत्र टुंइया उम्र करीब 35 वर्ष निवासी मो0 मस्तयाना कस्बा जैतपुर थाना कुलपहाड जनपद महोबा

2.चन्द्रशेखर पुत्र दशरथ खंगार निवासी ग्राम ननवारा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 मलखान सिंह
2.उ0नि0 रमेशकात त्रिपाठी
3.हे0कां0 बृजेश तिवारी
4.कां0 प्रशांत कुमार
5.कां0 अवनीश उपाध्याय

दिनांक- 09.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 526/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ - थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम द्वारा

01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध एवं अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में आज दिनांक- 09.08.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा मय हमराह रि0कां0 श्रीकान्त पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त चेतराम पुत्र जगन्नाथ उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम नैपुरा थाना महोबंकठ जनपद महोबा सम्बन्धित मु0सं0 647/2018 अ0सं0 1036/2012 धारा 323/324/504/506 भादवि0 में मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम नैपुरा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

चेतराम पुत्र जगन्नाथ उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम नैपुरा थाना महोबंकठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा

2.रि0कां0 श्रीकान्त पटेल

दिनांक- 09.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 527/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस की तत्पर कार्यवाही से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में ₹35,000/- की धनराशि कराई गई वापस...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी साइबर श्री अनुरुद्ध कुमार के नेतृत्व में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में आवेदक शैलेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी कस्बाथाई थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा द्वारा अपने साथ हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी के सम्बन्ध में NCRP (National Cyber Crime Reporting Portal) पर शिकायत दर्ज कराई गई थी।

शिकायत की जांच के दौरान थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक/डिजिटल माध्यमों से समन्वय स्थापित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता की ₹35,000/- (पैंतीस हजार रुपये) की सम्पूर्ण धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

अपनी पूरी धनराशि वापस प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा थाना कोतवाली नगर पर उपस्थित होकर उच्चाधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।

जनपद महोबा पुलिस आमजन से अपील करती है कि साइबर अपराध की किसी भी घटना की स्थिति में तत्काल NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे समय रहते आवश्यक कार्यवाही कर पीड़ित को राहत प्रदान की जा सके।

साइबर अपराध से बचाव हेतु आवश्यक सुझाव–

- किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक या मैसेज पर OTP, ATM पिन या बैंक विवरण साझा न करें।
- सोशल मीडिया/मैसेजिंग ऐप पर आए लालच भरे ऑफर से सावधान रहें।
- ऑनलाइन लेन-देन से पहले वेबसाइट/ऐप की प्रामाणिकता अवश्य जांचें।
- अनजान लिंक पर क्लिक न करें एवं अपने उपकरणों में अपडेटेड सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करें।
- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल NCRP पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

वापस कराने वाली पुलिस टीम–

1.SHO कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय

2.म0उ0नि0 शिवांगी प्रजापति